<u>शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध</u>

<u>संख्या-17/2016/ए-1-862/दस-2016-10(38)/2011</u>

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 28 अक्टूबर 2016**

विषय : अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप असमायोजित अनावर्ती सहायक अनुदानों की संख्या एवं राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में पूर्व में शासनादेश संख्या-ए-1-435/दस-2011-10(38)/2011, दिनांक 25-10-2011 व तद्क्रम में अन्तिम शासनादेश संख्या-2/2016/ए-1-93/दस-2016-10(38)/2011, दिनांक 05 फरवरी, 2016, शासनादेश संख्या-8/2016/ए-1-376/दस-2016-10(38)/2011, दिनांक 02 मई, 2016 व शासनादेश संख्या-10/2016/ए-1-21ए0जी0/दस-2016-10(38)/2011, दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा आवश्यक आदेश उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने हेतु निर्गत किए जा चुके हैं, परन्तु इसके उपरान्त भी अनावर्ती सहायक अनुदान की काफी अधिक संख्या एवं धनराशि अभी तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में असमायोजित पड़ी है।

2- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि जब वे वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय त्रैमास के प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ों का लेखा मिलान, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-22/2016/बी-2-1816/दस-2016-आर-2/2016, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय से करायेंगे, तो अपने साथ महालेखाकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध वित्तीय वर्ष 2001-02 से 2015-16 तक की अवधि में स्वीकृत किये गये अनावर्ती सहायता अनुदानों (Non Recurring grant-in-aid) के सापेक्ष उनकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate) एवं ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल भी साथ में अनिवार्य रूप से भेजेंगे, ताकि नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदानों का समायोजन सम्भव हो सके।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ समस्त नियंत्रक अधिकारियों को यह भी निर्देशित कर दें कि उनके द्वारा समयानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं ए0सी0 बिल के सापेक्ष डी0सी0 बिल प्रस्तुत कर समायोजन न करा सकने की स्थिति में वे व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

संख्या-17/2016/ए-1-862(1)/दस-2016-10(38)/2011, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-टी0एम0-।।/ग्रुप-iv/लेखा मिलान/एफ-18/52785, दिनांक-05-10-2016 के क्रम में।
(4) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को उनके पत्र संख्या-बी-2-A1816/दस-2016, दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 के क्रम में।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।